संख्या–813/तीस–3–11–13बी/2010

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 1/ अप्रैल 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में परिवहन आयुक्त संगठन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या–1035ए/2011दिनांक 04–04–2011 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/11 दिनांक 21–3–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–43 के लेखा शीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–01 कार्यालय भवन–051–निर्माण–03 अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव–29 अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रू0 3000 हजार, लेखा शीर्षक–,,3055–सड़क परिवहन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय,, में प्राविधानित धनराशि रू0 797016 हजार तथा साथ ही मद संख्या–,,190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकमों को सहायता–03–राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान–42–अन्य व्यय,, में धनराशि रू0 500 हजार,तथा लेखा शीर्षक ,,2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,, के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3001 हजार के सापेक्ष रू0–1501 हजार अर्थात कुल धनराशि रू0 80,20,17 हजार (रूपये अस्सी करोड़ बीस लाख सतरह हजार मात्र) को आवंटित करते हुए जिसका लेखाशीर्षकवार विवरण निम्नवत है, को कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्रविधान
लेखाशीर्षक–3055–सड़क परिवहन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय	
01–वेतन	414600
02–मजदूरी	125
03–महंगाई भत्ता	219738
04–यात्रा व्यय	1375
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	700
06–अन्य भत्ते	36000
07–मानदेय	50
08–कार्यालय व्यय	16000
09–विद्युत देय	5437
10–जलकर एवं जल प्रभार	6500

11–संचार सामग्री		1429
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		2000
13–टेलीफोन पर व्यय		7500
14– मोटरगाड़ियों का क्रय		20000
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की		575
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगत		9483
17–किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व		158
18–प्रकाशन		20
23–गुप्त सेवा व्यय		100
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण संयंत्र		310
29–अनुरक्षण		150
42–अन्य व्यय		4000
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		400
45–अवकाश यात्रा व्यय		250
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		24000
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		5000
49–चिकित्सा व्यय		800
51–वर्दी व्यय	योगः 3055–03	797016
190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकमों कोसहायता– 03–राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान–		500
42–अन्य व्यय	योगः 190	500
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यकम 200–अन्य कार्यकम– 03–मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान–		01
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)		
04– बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता–		1500
20 – सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	योग : 200	1501
2059–लोक निर्माण कार्य 01– कार्यालय भवन 051–निर्माण 03–अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख–रखाव		3000
20– अनुरक्षण	योग–051	3000

2– आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/11 दिनांक 21–3–11के में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है।) साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का पालन किया जाय । जहां टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहां उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

3–उपयुर्क्त आवण्टित धनराशियों का मिलान आय–व्ययक साहित्य 2011–12 से कर लें तथा यदि कोई विसंगति प्रकाश में आये तो उससे शासन को तत्काल अवगत करायें।

4– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और

अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– लेखा शीर्षक 2059 की धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व प्रश्नगत आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6– व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–9 एवं परिवहन अनुभाग–3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवानन्द ओझा)
विशेष सचिव।

संख्या– 813(1)/तीस–3–11तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ।
5– वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
7– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9
8– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।